पत्रांकः– 04/NULM-05/16......1740......................./न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

उप महाप्रबंधक,
इलाहाबाद बैंक,
मंडलीय कार्यालय, पटना।

पटना, दिनांक.....26|-7|17.....

विषयः– **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SEP घटक के तहत सूद अनुदान मुहैया कराने हेतु नोडल बैंक का खाता खोलने तथा इसके कार्यप्रणाली के संचालन के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक 786 दिनांक 25.03.2017 तथा आपका पत्रांक–ZO/PLG/2016–17/232 दिनांक–27.03.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि DAY-NULM योजनान्तर्गत SEP घटक के अधीन सूद अनुदान के राशि के संचालन हेतु SLBC की स्वीकृति के उपरांत आपके बैंक को नोडल बैंक बनाया गया है। वर्णित कार्य हेतु विभाग का खाता खोलने एवं खाता के संचालन के संबंध में आपसे प्राप्त पत्र के आलोक में विभाग द्वारा निम्न निर्णय लिये गए हैं :–

1. इलाहाबाद बैंक, पटना के मुख्य शाखा में दो खाता खोला जायेगा। प्रथम BUDA A/C SEP Interest Subsidy Mother के नाम से तथा दूसरा BUDA A/C SEP Interest Subsidy Child के नाम से बचत खाता (Saving Account) खोला जायेगा। Mother खाता से उतनी ही राशि Child खाता में अन्तरित कि जायेगी, जितनी सूद अनुदान की राशि संबंधित बैंक कों Reimburse किया जायेगा। अगर दिन के अंत में Child खाता में कुछ राशि बच जाती है, तो उसी दिन, उसे Mother खाते में अंतरित कर दी जायेगी ताकि प्रत्येक दिन का Credit एवं Debit बराबर होकर बैलेंस शून्य हो।

2. वर्णित खाता के संचालन हेतु इलाहबाद बैंक पटना मुख्य शाखा के सहायक महाप्रबंधक को अधिकृत किया जाता है।

3. नोडल बैंक द्वारा प्रत्येक संबंधित बैंक तथा SULM को User Id प्रदान करेगा।

4. संबंधित बैंक द्वारा तिमाही आधार पर सूद अनुदान का दावा प्रेषित किया जायेगा।

5. सूद अनुदान की भुगतान विवरणी नोडल बैंक मासिक आधार पर विभाग को उपलब्ध करायेगा।

6. तत्काल जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाय और तदुपरांत Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (UPA Division) के पत्रांक F.NoK/14012/152016-UPA/FTS-16320 दिनांक–22.08.2016 के आलोक मे सरकार द्वारा एक आरंभिक राशि जमा की जायेगी, जहॉ से दावा करने वाले बैंक को दावा के आधार पर दावा राशि Reimburse किया जायेगा। सूद अनुदान की राशि को मुहैया कराने की प्रणाली तीनों घटक यथा SEP-I, SEP-G तथा SHG में लागू रहेगी।

अतः अनुरोध है कि वर्णित दोनों खाता खोलकर खाता का विवरण विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि सूद अनुदान हेतु आरंभिक राशि भेजी जा सके।

विश्वासभाजन

21/7/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।